वित्तीय स्वीकृति

संख्या-47/2016/1719/52-3-16-बजट(16)/2015टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 07 □□, 2016

विषयः-केन्द्रपुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में समर्पित धनरिाश चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-268/□0□0□□0/□□0□□0/2015, दिनांक 28.4.2016तथा पत्र सं0-742/□0□0□0□□0/□□0□□0/2015 दिनांक 27.5.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि □□□□□□ □0-□□0□022/52-3-16- □□□(16)/2015 टी0□□0, दिनांक 30.3.2016 □□□ □□□□□□ □0-819/52-3-16- □□(40)/2016 दिनांक 31.3.2016 द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रू0 18,34,56,000/- तथा रु0 01,15,02,000/- अर्थात कुल रू0 19,49,58,000/- की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी गयी थी। उक्त धनराशि के सापेक्ष विभिन्न कारणों से बुक बैंक, विज्ञान व मैथ किट, कम्प्यूटर प्रयोगशाला तथा मानदेय हेतु स्वीकृ /अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्रमशः 0 1,29,03,160/-, रू0 38,99,840/- रू0 01,56,50,000/- तथा रू0 09,35,15,604/- अर्थात कुल रू0 12,69,68,604/- व्यय न हो पाने के कारण वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दी गयी थी। जिसे चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक से स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 03,36,36,90,000/-का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष रू0 75,02,95,201/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 02,61,33,94,799/-की धनराशि अवशेष है। आपके द्वारा व्यक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गत वित्तीय वर्ष में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष समर्पित की गयी धनराशि रू0 12,69,68,604/- (रू0 बारह करोड़ उनहत्तर लाख अड़सठ हजार छः सौ चार मात्र) निम्नांकित शर्तो के अधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदाि□□ □□ □□□/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 30-9-2016 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(2) उक्त स्वीवृ त धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं □□□-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृत की गयी धनराशि में से प्रत्येक मद में उतनी ही धनराशि व्यय की जायेगी जितनी धनराशि गत वित्तीय वर्ष में व्यय न होने के कारण समर्पित की गयी है।

(4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, □□□□न्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनाऱ्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को पे्रषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध □□□□ □□□□□

(6) योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को प्रश्नगत अवधि के मानदेय के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में इस अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित शिक्षक को नही किया गया है

(7) स्वीकृत की गयी धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। इस धनराशि का बगैर शासन के पूर्व अनुमति से पुर्नविनियोग नही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-1719/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत □□□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, □□□□□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 □□□□ □

9- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □

10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (अ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□□

11- कम्प्यूटर आपरेट□, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in